

# अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की व्यवसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप

## सारांश

इस शोध पत्र में अजमेर जिले में अनुसूचित जाति की व्यवसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 71 वर्ष बाद भी हमारे संविधान में नागरिकों के इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से अति पिछड़ा माना गया है। जिले में अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास एवं व्यवसायिक संरचना को समझाने के लिए उसकी कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण एवं विश्लेषण सहायक होगा। इस शोधपत्र में जिले में अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वर्गीकरण एवं व्यवसायिक संरचना का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों व आरेखों द्वारा कर इनके आर्थिक विकास हेतु सुझाव देने का प्रयास है।

**मुख्य शब्द :** व्यवसायिक संरचना, मुख्य कार्यशील, सीमांत कार्यशील, अकार्यशील, तहसील, काश्तकार, खेतीहर मजदूर।

## प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध अध्ययन विशिष्टतापूर्ण व्यवहारों एवं क्रियात्मक पक्षों के संदर्भ में है। यह अध्ययन जो तथ्य प्रस्तुत करता है वह मानवशास्त्रीय एवं समाज-वैज्ञानिक उपायम् में एक शास्त्रीय देने है। व्यावाहारिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति का अध्ययन सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में प्रकार्यात्मक तथ्य प्रस्तुत करता है। इनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक वैविध्यता तथा एकता संबंधित तथ्य न केवल योजनाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विकास कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं साथ ही प्रत्येक सरकार के लिए भी इस तरह के अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान संदर्भ में तो ऐसे अध्ययनों की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है जहां भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। ऐसे संदर्भ में उपेक्षित जातियों को सांस्कृतिक धारा में लाये जाने का प्रयास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ एवं दृष्टिकोण से अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। भारत में अधिकार हीन वर्ग की स्थिति में वांछित सुधार लाना किसी भी सरकार से अपेक्षित होता है। भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को इस उद्देश्य से संरक्षण व सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक निर्योग्यताए हटाई जा सके और उनके विविध अधिकारों को बढ़ावा मिल सके। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या एवं उनके आर्थिक व्यवसायिक संरचना का अध्ययन कर सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं और नियोजकों को उनकी भावी योजनाओं में सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

## अध्ययन के उद्देश्य

- जिले में अनुसूचित जाति की व्यवसायिक स्थिति का विश्लेषण।
- सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आने वाले व्यवधानों एवं समस्याओं के निवारण हेतु उपाय खोजना।

## साहित्यावलोकन

कवि. डॉ. रूपेन्द्र कुमार (2017) का शोध पत्र "बस्तर जिला के अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन"।

बॉथम. विनय कुमार (2012) के दारा अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सामाजिक आर्थिक विकास पर किये गये शोध कार्य का अध्ययन किया गया।

शर्मा. डॉ. सुनील कुमार. (2008) दारा लघु शोध प्रोजेक्ट "पाली जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं एवं उनकी सामाजिक

आर्थिक दशाओं में परिवर्तन का एक भौगोलिक अध्ययन "का अध्ययन किया गया। नागर. के .सी. (2016) सांख्यिकी के मुल तत्व मीनाक्षी प्रकाशन. मेरठ। प्रो. अन्जु (2017). जनजातिय महिला विकास. एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण का अध्ययन।


एम. जयपालन ने "ह्यूमन राइट्स (2000)" में मानवाधिकारों की सेव्हातिक विवेचना करते हुए यू. एन. द्वारा मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को स्पष्ट

करते हुए समानता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है।

के. एस. सिंह "द शेड्यूल कास्ट (1993)" एवं "द शेड्यूल ट्राइब्स (1994)" में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बारे में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

विनय किरपाल तथा मीनाक्षी गुप्ता "इविवलिटी थू रिजर्वेशन (1999)" में आरक्षण के माध्यम से समानता की स्थापना किस प्रकार हो सकेगी, इसका विश्लेषण किया गया है।

#### अध्ययन का क्षेत्र



**उपकल्पनाएं**

- जाति विशेष की जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक विकास में सरकारी योजनाएँ सहायक होती है।
- लिंग व आयु के अनुसार जनसंख्या संरचना सामाजिक-आर्थिक दशाओं को प्रभावित करता है।

**अध्ययन तकनीक**

शोधकार्य में अनुभाविक अथवा सांख्यिकी विधि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। द्वितीयक समंकों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से एकत्र किए गये हैं। इन समंकों को आवश्यकतानुसार सारणीबद्ध करने के उपरांत विभिन्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग कर उनका विश्लेषण किया गया है। समंकों को अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से मानविकीकरण की विभिन्न तकनीकियों का उपयोग भूगोल से संबंधित शोधकार्यों में अपरिहार्य है, अतः विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए चित्र और आरेख यथा स्थान प्रस्तुत किये गये हैं।

**अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की व्यावसायिक संरचना एवं आर्थिक स्वरूप**

जिले में पायी जाने वाली कुछ प्रमुख अनुसूचित जातियों के नाम व उनसे संबंधित आर्थिक क्रियायें इस प्रकार से हैं –

**चमड़ा**

चमड़ा बनाना, पकाना और रंगन इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये ढोल भी बनाते हैं।

**कोली**

ये करघों द्वारा मोटा कपड़ा बुनते हैं। गांव में रहने वाले लोग कृषि कार्य भी करते हैं।

**सांसी**

यह एक घुमक्कड़ जाति है, जो पहले चोरी करती थी। कुछ लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं तथा कुछ भीख मांगने का काम भी करते हैं।

**कंजर**

कंजर जाति के लोग घुमक्कड़ हैं और भीख, चोरी आदि के द्वारा जीविका चलाते हैं।

**खटीक**

इनका मुख्य पेशा भेड़, बकरी, हिरण तथा चीतों की खालों को बेचना है।

**भंगी**

ये हिंदू जाति में सबसे निम्न स्तर के माने जाते हैं। इन्हें हरिजन मेहतर या चूड़ा भी कहते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय पाखाना उठाना था।

**मेघवाल**

इन्हें भांभी या बलाई के नाम से भी जाना जाता है। पहले गांव की बेगार आदि वे ही निकालते थे। आज भी ये पटवारी आदि को बेगार निकालते हैं।

**बलाई**

ये भांभी भी कहलाते हैं। वर्तमान में वे खेतिहर मजदूर व काश्तकार का कार्य करते हैं।

**बैरवा**

अब ये चमड़े के काम को छोड़कर खेतिहर मजदूर हैं। ये हिंदू धर्मवलंबी हैं।

किसी जनसंख्या विशेष के आर्थिक विकास एवं व्यावसायिक संरचना को समझने के लिए उसकी कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण सहायक होता है। निम्न सारणी में अजमेर जिले की अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण दर्शाया गया है – अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कार्यशीलता के आधार पर वर्गीकरण (2001–2011)

कार्यशीलता	2001	2011
मुख्य कार्यशील	113173(29.29%)	151767(31.7%)
सीमांत कार्यशील	34251(8.87%)	43347(9.06%)
अकार्यशील	238874(61.84%)	282913(59.1%)
कुल	386298	478027

**स्रोत** – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर



सारणी 1.1 से स्पष्ट होता है कि जिले में 2001–2011 के दशक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 23.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एवं मुख्य कार्यशील जनसंख्या में, इस दशक के दौरान 2.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या के विकास के संबंध में संतोषजनक संकेत है।

मौसमी प्रकृति की आर्थिक-गतिविधियों के कारण सीमांत कार्यशील जनसंख्या जो वर्ष 2001 में 8.87 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011 में बढ़कर 9.06 प्रतिशत हो गई। सीमांत व कार्यशील जनसंख्या का यह प्रतिशत जिले के संभवतः भौगोलिक कारणों से है जो वहां की नवीन आर्थिक क्रियाओं में बाधक है। जिले में अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 61.84 प्रतिशत था जो कि घटकर 2011 में 59.1 प्रतिशत हो गया। अर्थात् 2001–2011 के दशक में अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या में भी आंशिक (2.74 प्रतिशत) कमी हुई है जो जिले में अनुसूचित जाति के धीमी गति के आर्थिक विकास का द्योतक है। इसका संभवतः प्रमुख कारण अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव एवं साक्षरता की कमी है। (आरेख 1)

**तहसीलवार कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या**

जिले की अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तहसीलवार कार्यशील व अकार्यशील संबंधी संरचना निम्न सारणी में दर्शाई गई है।

अनुसूचित जाति की कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण  
(2001 एवं 2011)



1.2 अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वर्गीकरण (2001–2011) (प्रतिशत में)

तहसील	मुख्य कार्यशील जनसंख्या		अकार्यशील जनसंख्या	
	2001	2011	2001	2011
किशनगढ़	39.1	35.2	60.9	64.7
अजमेर	42.8	31.2	57.2	68.7
पीसांगन	38.2	35	61.8	65.0
ब्यावर	43.0	30.6	57.0	69.3
मसूदा	34.7	38.8	65.3	61.2
नसीराबाद	36.2	34.6	63.8	65.4
भिनाय	32.3	42.7	67.7	57.3
सरवाड़	41.2	45.7	58.8	54.3
केकड़ी	34.2	40.0	58.8	60.0

#### स्रोत – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर


सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि किशनगढ़ अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, नसीराबाद तहसीलों में मुख्य कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में 2001 की अपेक्षा 2011 में गिरावट आई है। यह तथ्य इन तहसीलों में आश्रितों के प्रतिशत में वृद्धि को दर्शाता है साथ ही यहाँ की जनसंख्या की साक्षरता में कमी से इनके द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकना भी संभवतया इसका प्रमुख कारण रहा है। उपरोक्त तहसीलों की तुलना में मसूदा, भिनाय, सरवाड़ एवं केकड़ी तहसीलों में कार्यरत जनसंख्या बढ़ी है इसके पीछे इन तहसीलों में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों हेतु रोजगार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है।।

सारणी 1.2 से स्पष्ट है कि किशनगढ़, अजमेर, पीसांगन, ब्यावर, नसीराबाद व केकड़ी तहसीलों में

2001–2011 के दशक के दौरान अकार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा है। इसका प्रमुख कारण इन तहसीलों में जन्म दर का अधिक होना है जिसके फलस्वरूप 15 वर्ष से नीचे की उम्र के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और आश्रितों का प्रतिशत बढ़ा। जन्म दर के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा में कमी व रुद्धिवादिता भी महत्वपूर्ण कारण रहे। जबकि अन्य तहसीलों में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि का सूचक है।

आरेख 2 में अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वितरण दर्शाया गया है।

अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या का तहसीलवार वितरण (2001–2011) (प्रतिशत में)



आरेख 2:लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या

कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या की संरचना को लिंग के आधार पर वर्गीकृत करना इनके आर्थिक जीवन को समझने में सहायक होगा। सारणी 1.3 वर्ष

2001 व 2011 में लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या के वर्गीकरण को दर्शाती है-

### 1.3 लिंग के आधार पर कार्यशील व अकार्यशील

#### जनसंख्या (प्रतिशत में)

वर्ष	कार्यशील जनसंख्या		अकार्यशील जनसंख्या	
	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां
2001	72.70	27.30	43.57	56.43
2011	64.54	35.45	41.64	58.35

#### स्रोत – जनगणना विभाग जयपुर

सारणी 1.3 से स्पष्ट है कि 2001 में अनुजाति की कुल कार्यशील जनसंख्या का 72.70 प्रतिशत पुरुषों का रहा जो 2011 में घटकर 64.54 प्रतिशत हो गया दूसरी और कुल कार्यशील जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत 2001 में 27.30 प्रतिशत रहा जो वर्ष 2011 में बढ़कर 35.45 प्रतिशत हो गया (आरेख 3) उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 2001–2011 के मध्य कार्यशील एवं अकार्यशील जनसंख्या के लिंगानुसार आंकड़े अनुसूचित जाति की सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं जो कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों से प्रभावित रही।

अनुसूचित जाति की अकार्यशील जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का प्रतिशत दोनों ही

जनगणना वर्षों में अधिक रहा जो भारतीय समाज की पुरुष प्रधान परंपरा का अप्रत्यक्ष समर्थन को दर्शाता है।


अकार्यशील स्त्री जनसंख्या संबंधी तथ्य दर्शाते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों की भागीदारी में वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या में आंशिक कमी अंकित की गई जो लड़कों की जन्म दर में कमी होने का द्योतक है।

#### मुख्य कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक आविकास एवं वहां की आर्थिक क्रियाओं में संबंध होता है। आर्थिक विकास मुख्य कार्यशील जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना पर बहुत सीमा तक निर्भर होता है इसी प्रतिस्थापना को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत सारणी 1.4 में अनुसूचित जाति में मुख्य कार्यशील जनसंख्या की

व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है जिससे जिले के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति के योगदान के साथ-साथ स्वयं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के

आंतरिक आर्थिक विकास का आंकलन करने के साथ ही उनके आर्थिक विकास हेतु आवश्यक सुझाव दिए जा सकें।



1.4 मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण वर्ष 2001–2011 (प्रतिशत में)

व्यवसाय	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
	2001	2011
काश्तकार	28.2%	21.6%
खेतीहर मजदूर	9.1%	12.4%
पारिवारिक उद्योग उत्पादन मरम्मत आदि	5.7%	3.7%
अन्य	57%	62.2%
अनु-जाति की कुल कार्यशील जनसंख्या	113173	151767


स्रोत – जनगणना प्रतिवेदन 2001,11 जिला अजमेर

उपरोक्त सारणी 1.4 से स्पष्ट है कि जिले में 2001 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का मुख्य कार्यशील जनसंख्या का 38 प्रतिशत भाग सर्वाधिक (28.2 प्रतिशत) काश्तकार व्यवसाय में तथा 9 प्रतिशत खेतीहर मजदूर में संलग्न रहा जो अर्थोपार्जन हेतु कृषि एवं उसके सहायक कार्यों पर निर्भरता दर्शाता है शेष लगभग 60 प्रतिशत भाग पारिवारिक उद्योगों, पशुपालन, जंगलात में काम करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन व उत्थनन संबंधी कार्य, निर्माण कार्य, लघु व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन व संचार के साधनों से संबंधित रहा।

वर्ष 2011 में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 34 प्रतिशत से अधिक भाग काश्तकार एवं मजदूरी में संलग्न रहा। पारिवारिक उद्योगों, उत्पादन, मरम्मत आदि कार्यों में वर्ष 2001 की तुलना में संलग्न सदस्यों का प्रतिशत कम रहा (2 प्रतिशत), जिसका प्रमुख कारण जिले में कृषि कार्य का मानसून पर निर्भर रहना है।

वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में, अन्य कार्यों यथा पशुपालन, जंगलात में कार्य करना, मछली पकड़ा, शिकार, खनन उत्थलन, निर्माण वाणिज्य एवं व्यापार, परिवहन संचार आदि में संलग्न सदस्यों का प्रतिशत 57 बढ़कर 62 हो गया। जो उनकी आर्थिक क्रियाओं एवं अन्य कार्यों के प्रति बढ़ते रुझान के पीछे अर्थोपार्जन हेतु अन्य कार्यों की बढ़ती उपलब्धता, मानसून की अस्थिरता तथा उससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों से स्वयं को अप्रभावित रखने की जागरूकता, संभवतः महत्वपूर्ण कारक रहे। (आरेख 4)

### अनुसूचित जाति की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण



#### **निष्कर्ष एवं सुझाव**

आज भारत को स्वतंत्र हुए 71 वर्ष हो गए। परंतु अब तक भी समाज का एक विशेष वर्ग उपेक्षित एवं तिरस्कृत नजर आता है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है परंतु व्यावहारिक धरातल पर यह किंचित अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उत्तरता दिखाई नहीं पड़ता। प्रायः समाचार पत्रों में समाज के एक विशेष वर्ग (अनुसूचित जाति) के विरुद्ध आर्थिक शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। शोध अध्ययन के पश्चात् शोधकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित जो निष्कर्ष निकाले गये वो इस प्रकार है –

- जिले में अकार्यशील जनसंख्या में 2001–2011 के दौरान लगभग 3% कमी आयी है। जो अनुसूचित जाति की जागरूकता को दर्शाती है।
- जिले में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत 2001–2011 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत बढ़ा है जो महिलाओं में आर्थिक विकास को दर्शाता है।
- काल्पकारों को प्रतिशत में कमी(6.7 %) मानसून की अनिश्चिता के कारण है।
- व्यवसायिक संरचना के अन्तर्गत शिक्षा व सरकारी योजनाओं के लाभ के फलस्वरूप अन्य कार्य यथा उत्खनन कार्य, निर्माण कार्य, लघु व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन व सरकारी में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है।
- वर्तमान में अनेक सांविधानिक प्रावधानों, प्रदत्त सुविधाओं एवं उपायों के उपरांत भी अनुसूचित जाति समाज में सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं हो पाया है। किए गए शोध के आधार पर ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जाति समाज प्रदत्त सुविधाओं का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सका है। इसके कारण के रूप में एक तो सदियों से शोषित होने के कारण इनमें मनोबल एवं संघर्ष करने की क्षमता का अभाव देखा गया और दूसरा सामाजिक

ढांचे का निर्माण इस प्रकार हो गया है कि वे इसका लाभ उठाने से वंचित रह गए

#### **सुझाव**

अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के कुछ सुझाव इस प्रकार हैं—

- कृषि में संलग्न अनुसूचित जाति के लिए विशेषयोजनाएँ सरकार दासा लागू की जाए।
- लघु व कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नवीन योजनाएँ प्रस्तावित कर ऋण आदि की प्रक्रिया को सरल बनायी जाए।
- महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना अपेक्षित है।
- योजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन विभिन्न पंचायत समितियों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए।
- योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋणों एवं अनुदान का उपयोग उसी कार्य में होना चाहिए जिस कार्य के लिए राशि की स्वीकृत एवं आवंटन किया गया है। इस पर पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण भी आवश्यक है।
- आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिए इनकी आय के साधनों में वृद्धि के प्रयास अपेक्षित हैं इस हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास गांवों में तेजी से किया जाना चाहिए। स्त्रियों को विशेष घरेलू कार्यों एवं कुटिर उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रशिक्षण व अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों की कियान्वयन से क्षेत्र में अनुसूचितजाति के लोगों के लिए क्रियान्वित योजनाएँ अधिक फलदायक होंगी जिसमें योजनाओं के मूल लक्ष्य यथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने का लक्ष्य, आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा।

#### **संदर्भ ग्रंथ सूची**

- लाला जगदलपुरी 2007 "बस्तर (इतिहास संस्कृति त्रृतीय संस्थान)" म.प्र हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

- 2 कौशिक, एस. डी. (2009), "संसाधन भूगोल" रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
- 3 जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 (अजमेर). जनसंख्या विभाग, जयपुर
- 4 त्रिपाठी डॉ आर. डी 2013 जनसंख्या भूगोल
- 5 के. विलियम कॅप - "हिंदू कल्चर - इकॉनोमिक डेहलपमेंट एंड इकॉनोमिक प्लानिंग इन इंडिया" (इन एशिया)
- 6 जैन, डॉ. पुखराज, "भारत की सांस्कृतिक विरासत" पृ 147-48
- 7 मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, "सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा"
- 8 सक्सेना, आर. एन. "भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं"
- 9 फिशर, जी. एस. "फेयर चाइल्ड डिक्शनरी ऑफ सॉसियोलॉजी"
- 10 हालन मोहम्मद 2016. आर्थिक भूगोल के मूल तत्व. वसुन्धरा प्रकाशन. गोरखपुर
- 11 कौशिक, एस. डी. (2014), "संसाधन भूगोल" रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
- 12 गौतम अल्का (2017), "भारत का वृहत् भूगोल" शारदा पुस्तक भवनदृश्यालाहाबाद।
- 13 वैष्णव, टी. के. 2004 . धर्तीसगढ की अनुसूचित जनजातियाँ
- 14 शर्मा, एच. एस. 2015 "राजस्थान का भूगोल"